

न्यायालय- सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, आमला जिला बैतूल (म०प्र०)
(पीठासीन अधिकारी- धन कुमार कुड़ोपा)

व्यवहार वाद क०-31ए/15
संस्थापित दिनांक 16-10-15
फाईलिंग नं. 233504000362015

1. श्रीमति जयाबाई जौजे नामदेव, उम्र 52 वर्ष, जाति माली,
2. नामदेव पिता नत्थू, उम्र 58 वर्ष, जाति माली,
दोनों निवासी वार्ड नं०16, बंधा रोड भीमनगर बोड़खी, बैतूल, तहसील आमला, जिला बैतूल (म०प्र०),

----- **वादीगण.**

-: बनाम :-

1. मंगलसिंह धुर्वे व० जबरसिंह, उम्र 60 वर्ष, जति गोंड,
निवासी वार्ड कं.16 बंधारोड आमला, तह० आमला, जिला बैतूल,
2. धीरेन्द्र गुलबाके व० रतन, उम्र 40 वर्ष,
निवासी वार्ड कं.16 बंधारोड आमला, तह० आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

----- **प्रतिवादीगण.**

-: वार्षिक नेशनल लोक अदालत आदेश :-
(आज दिनांक 12/11/16 को पारित)

1- वादीगण ने यह दावा विवादित भूमि ग्राम बोड़खी, तहसील आमला, जिला बैतूल में खसरा नं. 163 में से रकबा 0.004 हे० भूमि दिनांक 15/11/1988 में क्रय की थी उसके पश्चात् पटवारी हल्का नं. 2 ब०नं० 276/1 रा०नि०मं०. विकासखंड आमला खसरा नं 164 में से रकबा 0.008 दिनांक 8/07/1996 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की थी। उक्त भूमि के 6X20 फुट पूर्व से पश्चिम की ओर 6 फुट चौड़ा एवं 20 फुट लंबा रास्ता सुखाधिकार के अंतर्गत आने जाने हेतु रास्ते पर निर्माण कार्य न करें और उक्त रास्ते पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य ना करें, इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा बाबत हेतु यह दावा प्रस्तुत किया है।

2- वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने न्यायालय के समक्ष लिखित राजीनामा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस प्रकरण में प्रति.कं.1 की ग्राम बोड़खी स्थित भूमि ख.नं.170 के उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर वादीगण के आवागमन हेतु रास्ते के सुखाधिकार की उद्घोषणा, स्थाई एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा दिये जाने हेतु दावा प्रस्तुत किया था, जिसमें उक्त रास्ते के सुधाधिकार के संबंध में उभयपक्ष के मध्य बिना किसी धाक-दबाव के अपनी राजीखुशी से आपसी राजीनामा सभी पक्षों की पूर्ण सहमति

से हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण जिन राजीनामा के बिन्दुओं पर राजीनामा हेतु तैयार है, वे इस प्रकार हैं कि बिन्दु-(अ)-प्रति.क्रं.1 मंगलसिंग का ग्राम बोड़खी स्थित ख.नं.170 रकबा 0.008 हे० भूखण्ड जिसके पूर्व में वादीगण का मकान स्थित है, उक्त मकान में वादीगण के आवागमन हेतु प्रति.क्रं.1 के भूखण्ड के उत्तर दिशा में उत्तर-दक्षिण 4 फुट चौड़े तथा पूर्व-पश्चिम 20 फुट लंबे रास्ते पर वादीगण श्रीमति जयाबाई एवं नामदेव को आवागमन का सुखाधिकार रहेगा, जिसमें किसी भी प्रकार का अवरोध प्रतिवादीगण मंगलसिंग एवं धीरेन्द्र कभी नहीं करेंगे। वादीगण के सुखाधिकार के तहत रिक्त छोड़े गये उक्त रास्ते पर भूतल अथवा हवा में उभयपक्ष में से कोई भी पक्ष कभी भी किसी भी प्रकार से स्थाई अथवा अस्थायी प्रकृति का कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे। इस बाबत उभयपक्षों के मध्य यह राजीनामा हुआ है। (ब)-प्रकरण का खर्च उभयपक्ष अपना-अपना वहन करेंगे। उभयपक्षों के मध्य उपरोक्तानुसार राजीनामा हो जाने से अब कोई विवाद शेष नहीं रहा है। अतः प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रकरण उभयपक्ष के मध्य हुये राजीनामा अनुसार प्रस्तावित वृहद लोक अदालत में राजीनामा अनुसार जयपत्रित किये जाने का निवेदन किया गया है।

3- वादीगण एवं प्रतिवादीगण दोनों ने आज आयोजित वार्षिक नेशनल लोक अदालत के माध्यम से स्वेच्छया पूर्वक राजीनामा स्वीकार किया है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री वेदप्रकाश साहू द्वारा की गई।

4- राजीनामा विधिपूर्ण होने से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। राजीनामा आवेदन के अनुसार प्रकरण का निराकरण करते हुये निम्न आशय की डिक्री/आज्ञप्ति पारित की जाती है:-

1. यह घोषित किया जाता है कि प्रति.क्रं.1 मंगलसिंग का नाम बोड़खी स्थित ख.नं.170 रकबा 0.008 हे० भूखण्ड जिसके पूर्व में वादीगण का मकान स्थित है, उक्त मकान में वादीगण के आवागमन हेतु प्रति.क्रं.1 के भूखण्ड के उत्तर दिशा में उत्तर-दक्षिण 4 फुट चौड़े तथा पूर्व-पश्चिम 20 फुट लंबे रास्ते पर वादीगण श्रीमति जयाबाई एवं नामदेव को आवागमन का सुखाधिकार रहेगा, जिसमें किसी भी प्रकार का अवरोध प्रतिवादीगण मंगलसिंग एवं धीरेन्द्र कभी नहीं करेंगे। वादीगण के सुखाधिकार के तहत रिक्त छोड़े गये उक्त रास्ते पर भूतल अथवा हवा में उभयपक्ष में से कोई भी पक्ष कभी भी किसी भी प्रकार से स्थाई अथवा अस्थायी प्रकृति का कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे।

2. उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पत्र डिक्री का अभिन्न भाग होगा।

3. उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय नियमानुसार वहन करेंगे।
उक्तानुसार जयपत्र बनाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर कम्प्यूटर
पर टंकित किया गया।

(धनकुमार कुडोपा)
सिविल न्यायाधीश वर्ग-2
आमला, जिला बैतूल,म.प्र.

— — — —

(धनकुमार कुडोपा)
सिविल न्यायाधीश वर्ग-2
आमला, जिला बैतूल,म.प्र.